साप्ताहिक

बुलंद गोंदिया

खबरों का आईना

प्रधान संपादक : **अभिषेक चौहान**। संपादक : **नवीन अग्रवाल**

E-mail: **bulandgondia@gmail.com** | E-paper: **bulandgondia.net** | Office Contact No.: **7670079009** | R. No.: **MAH-HIN-10169**

वर्ष : 3। अंक : 01 | गोंदिया : गुरुवार, 11 से 17 अगस्त 2022 | पृष्ठ : 4 | मूल्य : रु. 5

संपादकीय... बदल रही पत्रकारिता - चुनौतियाँ बरकरार

किसी भी समाज की तरक्की का आकलन उस समाज में प्रचलित सूचनाओं के आदान-प्रदान के तंत्र की मजबूती को देखकर आंका जा सकता है. गोंदिया जिला हिंदी बहुल है। बावजूद जिले में हिंदी के अखबारों की कमी खलती है। या यूं कहें कि हिंदी अखबार जिले की जनता की जरुरतों के अनुसार अनेक बार खरा नहीं उतर पाते। विश्वसनीयता और साख बनाने के लिए बरसों की तपस्या लगती है। जनता वह खबर पढ़ना चाहती है जिसे नेता, अफसर, माफिया आदि छिपाकर रखना चाहते हैं। अविश्वास के इस कठिन दौर में नये अखबार की कल्पना, रचना व प्रस्तुति देना बेहद चुनौती भरा कार्य है। आज का पाठक जागरुक हो चुका है। टीवी और मोबाइल पर उसे देश व दुनिया की खबरें मिल जाती है। लेकिन वह चाहता है कि उसके घर परिसर, पड़ोस, उसके गांव व शहर की खबरों से वह रुबरु हो। परंतु अनेक बार स्थानीय खबरें या तो दबा दी जाती है या उसे मामूली खबर मानकर अनदेखी की जाती है। गोंदिया जिले समेत इस नये अखबार को पढ़ने वाले दूर-दराज के हर पाठकों की बौद्धिक संतुष्टि के लिए खबरों से समझौता किए बिना सच को परोसना हर दिन एक लड़ाई लड़ने जैसा काम है। हमारे इस संघर्ष में जागरुक पाठक हमारा साथ देंगे, यही अपेक्षा है।

आमतौर पर देखा गया है कि आम इंसान की एक गंभीर समस्या किसी दूसरे इंसान के लिए मामूली लग सकती है। मसलन एक इंसान के घर के आगे मौजूद कूड़ादान यदि स्थानीय सफाई विभाग की ओर से नियमित साफ नहीं किया जाता हो तो उस कूड़ेदान से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है। मार्ग पर गंदगी फैल जाती है। दुर्गंध से जीना मुहाल हो जाता है। उस इंसान का परिवार अपने मकान के सारे खिड़कियां-दरवाजे हर समय बंद रखने के लिए मजबूर हो जाता है। वह परिवार घर के हॉल में बैठकर चैन से भोजन भी नहीं कर पाता। उसके घर में रिश्तेदार आने से कतराने लगते हैं। इतना सबकुछ दर्द वह केवल उस कूड़ेदान की वजह से सह रहा होता है। अब यदि सफाई विभाग की नाकामी और उस कूड़ेदान की बदहाली पर कोई खबर प्रकाशित हो तो वह उस इलाके के लिए अहम बात होगी। परंतु अन्य इलाकों के लिए वह मामूली खबर मानी जाएगी। इसलिए कहवातें तैयार होती है। जो जलता है, वही जानता है जलने का दर्द क्या होता है॒

गोंदिया जिले में राजनीतिक उठक-पठक आम बात है। अपराध व अपराधियों के संरक्षणदाताओं का आशीर्वाद समझ पाना कठिन नहीं है। भ्रष्ट तंत्र से खोखली हो चुकी व्यवस्था का दंश हर नागरिक को कभी न कभी सहना पड़ता है। सहते-सहते हम यह भूल जाते हैं कि हमें इसके खिलाफ आवाज भी उठाना चाहिये। अखबार आपकी आवाज होती है। यदि किसी को आपकी आवाज दबानी हो तो वह सबसे पहले अखबारों की आवाज दबा देता है। फिर भी आवाज तो आवाज है। साउंड प्रुफ समाज बनाया नहीं जा सकता। कोई न कोई अखबार या रिपोर्टर ऐसा जांबाज बनकर उभरता है, जिसे जनता की आवाज से प्रेम हो।

लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ की साख आज दांव पर है। जी हाँ हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता की। जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार और जनता के बीच। समाज में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह जनता और सरकार के बीच सामंजस्य बनाने में मदद करता है। लेकिन ये अब ऐसे स्तर पर आ गया है जहां लोगों का भरोसा ही इस पर से खत्म होता जा रहा है। इसका अत्यधिक व्यावसायीकरण ही शायद इसकी इस हालत की वजह है। पर जहां तक हम सोचते हैं इसके लिए अनेक कारक हैं जो इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। सोशल साइट्स, इलेक्ट्रानिक मीडिया और इंटरनेट के जमाने में प्रिंट मीडिया कमजोर हो चला। क्योंकि व्हाट्सएप्प, ट्विटर और फेसबुक पर हर समाचार बहुत ही तेजी से फैल जाता है और मिर्च मसाला लगाने में भी आसानी हो जाती है लोगों को। वायरल का फैशन चल पड़ा है तो कौन सुबह तक इंतज़ार करेगा? सभी समाचार पत्रों के ऑनलाइन एडिशन भी आ गए हैं पर उतने लोकप्रिय नहीं हैं, सभी अब फेसबुक का सहारा लेते हैं। क्या डिजिटल युग का आना ही इसकी लोकप्रियता कम होने का एकमात्र कारण है? न्यूज चैनलों की बाढ़ सी आ गयी है पर आज सच्ची और खोजी पत्रकारिता में गिरावट आ गयी। सभी मीडिया हाउस राजनीतिक घरानों से जुड़े हुए हैं। टीआरपी बढ़ाने की होड़ लगी है। ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा आम है, देश की चिंता कम विज्ञापनों की ज्यादा है। ये कारण भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं।

राजनीति और पूंजीवाद से मीडिया की आजादी पर भी खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मीडिया से जुड़े कई लोगों पर कितने ही आरोप लगे, कुछ जेल भी गए तो कुछ का अब भी ट्रायल चल रहा। आज पत्रकारिता और पत्रकार की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठता है? आखिर हो भी क्यों नहीं? वो जिसे चाहे चोर बना दे, जिसे चाहे हिटलर। कोर्ट का फैसला आता भी नहीं पर मीडिया पहले ही अपना फैसला सुना देता है। किसी का महिमामंडन करने से थकता नहीं तो किसी को गिराने से पीछे हटता नहीं। आज मीडिया का कोई भी माध्यम सच दिखाने से ही डरने लगा है। कहीं आज मीडिया सरकार से तो नहीं डर रहा? खोजी पत्रकारिता का असर कुछ भयानक होने लगा है। आये दिन पत्रकारों पर हमले होने लगे हैं। किसी भी क्षेत्र की त्रुटि और भ्रष्टाचार को सामने लाने से पत्रकारो को जान से हाथ धोने पड़ रहे। पत्रकार अपनी ईमानदारी से समझौता करने को विवश हो रहे। अगर ये सच है, तब तो वो दिन दूर नहीं जब हम सच और निष्पक्ष खबरों के लिए तरस जायेंगे।

मीडिया को लोकतंत्र का एक स्तम्भ माना गया है और इसकी अपनी महत्ता है, क्योंकि यह हमारे चारों ओर मौजूद होता है। अत: यह निश्चित सी बात है कि इसका असर समाज के उपर भी पड़ेगा। किसी ने भले ही कितने परोपकारी कार्य किये हों और अगर मीडिया चाह ले तो उसकी छवि एक पल में धूमिल कर सकता है। आज यही वास्तविकता है। ब्लैकमेलिंग का ज़माना है। सभी पूर्ण रुप से व्यापारी बन चुके हैं। डिजिटल युग में हर ओर प्रतिस्पर्धा है। फलस्वरुप मीडिया को चलाने के लिए खर्चे भी बढ़े हैं। इन खर्चों को पूरा करने के लिए ज्यादातर मीडिया हाउस सरकार, पूंजीपति और बड़ी-बड़ी कंपनियों पर आश्रित हो गए हैं। इन सब पर निर्भर होने से मीडिया की आजादी ही खतरे में आ गई है। नेता, दलालों से गठबंधन, ब्रेकिंग न्यूज, विज्ञापन और अनेक हथकण्डे।

सभी लोग, हम, आप और मीडिया बदलाव की बात तो करते हैं पर इनमें कोई भी बदलना नहीं चाहता। सभी एक ही नांव पर सवार हैं पर स्थिति तो डांवाडोल और नाजुक है। जो आम जनता की आवाज़ है। वही कराह रहा तो कौन खड़ा होगा समाज को आइना दिखाने के लिए?

सरकार और सरकार के कार्यों पर कौन नजर रखेगा? हमारी और आपकी परेशानियों को सरकार तक कौन पहुंचायेगा? विद्यार्थियों, कामगारों और आम जनता की आवाज कौन बनेगा? अब भी वक्त है कि हम संभल जायें, चकाचौंध, टीआरपी की दौड़ और पैसों के पीछे न भाग हम निष्पक्ष पत्रकारिता पर ध्यान दें तो शायद लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ खोखला होने से बच जाये।

- नवीन अग्रवाल

आज़ादी का अमृत महोत्सव
75वा स्वतंत्राता दिवस
एवम्
बुलंद गोंदिया के तृतीय
वर्ष में प्रवेश पर
अनंत शुभकामनाएँ...
आज़ादी का अमृत महोत्सव
विष्णु नागरीकर
पूर्व पार्षद
नगर परिषद गोंदिया

आज़ादी का अमृत महोत्सव
आप सभी को 75वे स्वतंत्राता दिवस
एवम्
बुलंद गोंदिया की द्वितीय वर्षगाँठ पर
हार्दिक शुभकामनाएँ
डॉ.माधुरी योगेश नासरे
(अध्यक्ष)
दि भंडारा अर्बन को-ऑप बैंक लि.गोंदिया

75वे स्वतंत्राता दिवस
एवम्
बुलंद गोंदिया की द्वितीय वर्षगाँठ पर
बधाईयाँ
आज़ादी का अमृत महोत्सव
चुन्नीलाल बेन्द्रे
सभापति
कृषि उत्पन्न बाजार समिति, गोंदिया

आज़ादी का अमृत महोत्सव
भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव
एवम्
बुलंद गोंदिया के तृतीय वर्ष में प्रवेश पर
हार्दिक शुभकामनाएँ...
सुनिल तिवारी
पूर्व शिक्षा सभापति
नगर परिषद गोंदिया

भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा

भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहते हैं, तीन रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वैंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई, 1947 को आयोजित भारतीय संविधान.सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसमें तीन समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है ओर नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ, विकास और उर्वरता को दर्शाती है। ध्वज की लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 आरे (तीलियां) होते हैं। यह इस बात प्रतीक है भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है व इसका रुप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्षफलक के चक्र में दिखने वाले की तरह होता है। भारतीय राष्ट्रध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है।

राष्ट्रीय झंडा निर्दिष्टीकरण के अनुसार झंडा खादी में ही बनना चाहिए। यह एक विशेष प्रकार से हाथ से काते गए कपड़े से बनता है जो महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। इन सभी विशिष्टताओं को व्यापक रुप से भारत में सम्मान दिया जाता हैं। भारतीय ध्वज संहिता के द्वारा इसके प्रदर्शन और प्रयोग पर विशेष नियंत्रण है।

परिचय

गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें दो रंग थे लाल रंग हिन्दुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए। बीच में एक चरखा था। बाद में इसमें अन्य धर्मो के लिए सफेद रंग जोड़ा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को संशोधित किया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली जो कि भारत के संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने लगवाया। इस नए झंडे की देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने फिर से व्याख्या की।

21 फीट गुणा 14 फीट के झंडे पूरे देश में केवल तीन किलों के ऊपर फहराए जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित किला उनमें से एक है। इसके अतरिक्त कर्नाटक का नारगुंड किले और महाराष्ट्र का पनहाला किले पर भी सबसे लम्बे झंडे को फहराया जाता है।

1951 में पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने पहली बार राष्ट्रध्वज के लिए कुछ नियम तय किए। 1968 में तिरंगा निर्माण के मानक तय किए गए। ये नियम अत्यंत कड़े हैं। केवल खादी या हाथ से काता गया कपड़ा ही झंडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कपड़ा बुनने से लेकर झंडा बनने तक की प्रक्रिया में कई बार इसकी टेस्टिंग की जाती है। झंडा बनाने के लिए दो तरह की खादी का प्रयोग किया जाता है। एक वह खादी जिससे कपड़ा बनता है और दूसरा खादी-टाट। खादी में केवल कपास, रेशम और ऊन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि इसकी बुनाई भी सामान्य बुनाई से भिन्न होती है। ये बुनाई बेहद दुर्लभ होती है। इसे केवल पूरे देश के एक दर्जन से भी कम लोग जानते हैं। धारवाण के निकट गदग और कर्नाटक के बागलकोट में ही खादी की बुनाई की जाती है। जबकी हुबली एक मात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहाँ से झंडा उत्पादन व आपूर्ति की जाती है। बुनाई से लेकर बाजार में पहुँचने तक कई बार बी.आई.एस. प्रयोगशालाओं में इसका परीक्षण होता है। बुनाई के बाद सामग्री को परीक्षण के लिए भेजा जाता है। कड़े गुणवत्ता परीक्षण के बाद उसे वापस कारखाने भेज दिया जाता है। इसके बाद उसे तीन रंगो में रंगा जाता है। केंद्र में अशोक चक्र को काढ़ा जाता है। उसके बाद इसे फिर परीक्षण के लिए भेजा जाता है। बी.आई.एस. झंडे की जाँच करता है इसके बाद ही इसे फहराया जा सकता है।

तिरंगे का विकास

यह ध्वज भारत की स्वतंत्रता के संग्राम काल में निर्मित किया गया था। वर्ष 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय भारत राष्ट्र का ध्वज बनाने की योजना बनी थी, लेकिन वह आंदोलन असमय ही समाप्त हो गया था और उसके साथ ही वह योजना भी बीच में ही अटक गई थी। वर्तमान रुप में पहुँचने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा है। इस विकास में यह भारत में राजनैतिक विकास का परिचायक भी है। कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस प्रकार हैं :-

प्रथम चित्रित ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। 7 अगस्त, 1906 को पारसी बागान चौक (ग्रीन पार्क) कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में आठ कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चाँद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदेमातरम् लिखा गया था।

द्वितीय ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार यह 1905 में हुआ था। यह भी पहले ध्वज के समान थाय सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु सात तारे सप्तकृषियों को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था।

1917 में भारतीय राजनैतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉ. एनी बीसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान तृतीय चित्रित ध्वज को फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियाँ एक के बाद एक और सप्तद्वषि के अभिविन्यास में इस पर सात सितारे बने

आज़ादी का अमृत महोत्सव
बधाईयाँ
शुभांगी पाथोडे
वार्ड अध्यक्ष
विदर्भ राज्य आंदोलन समिती
गोंदिया
पुरनलाल पाथोडे
सचिव
शहर भाजपा

आज़ादी का अमृत महोत्सव
आप सभी को 75वे स्वतंत्राता दिवस
एवम्
बुलंद गोंदिया की द्वितीय वर्षगाँठ पर
हार्दिक शुभकामनाएँ
भरत क्षत्रिय
पूर्व पार्षद
नगर परिषद गोंदिया

आज़ादी का अमृत महोत्सव
आप सभी को 75वे स्वतंत्राता दिवस
एवम्
बुलंद गोंदिया की द्वितीय वर्षगाँठ पर
हार्दिक शुभकामनाएँ
हेमलता पतेह
पूर्व पार्षद
नगर परिषद गोंदिया

आज़ादी का अमृत महोत्सव
आप सभी को 75वे स्वतंत्राता दिवस
एवम्
बुलंद गोंदिया की द्वितीय वर्षगाँठ पर
हार्दिक शुभकामनाएँ
विनीत शहारे
पूर्व पार्षद, नगर परिषद गोंदिया

स्वतंत्रता दिवस की 75वी वर्षगांठ
एवम्
बुलंद गोंदिया के तृतीय वर्ष में प्रवेश पर

बधाईयाँ

नेहा नायक
पूर्व सभापति
नगर परिषद, गोंदिया

रॉकी नायक
सामाजिक कार्यकर्ता
गोंदिया

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता दिवस तथा बुलंद गोंदिया की द्वितीय वर्षगांठ पर

हार्दिक शुभकामनाएं

24 Hrs. SERVICE

मित्तल गैस

मेडिकल ऑक्सिजन सिलेंडर सप्लायर

कवलेवाड़ा रोड, फुलचुर टोला, गोंदिया

श्याम मित्तल | 9326826785

स्वतंत्रता दिवस की 75वी वर्षगांठ
एवम्
बुलंद गोंदिया के तृतीय वर्ष में प्रवेश पर

शुभकामनाएँ

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

मौसमी सोनछात्रा
पूर्व पार्षद
न.प.गोंदिया

चेतन सोनछात्रा
सामाजिक कार्यकर्ता
गोंदिया

थे। ऊपरी किनारे पर बायीं ओर (खंभे की ओर) यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था।

कांग्रेस के सत्र बेजवाड़ा (वर्तमान विजयवाड़ा) में किया गया यहाँ आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वैंकैया ने एक झंडा बनाया (चौथा चित्र) और गांधी जी को दिया। यह दो रंगों का बना था। लाल और हरा रंग जो दो प्रमुख समुदायों अर्थात हिन्दू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए।

वर्ष 1931 तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है। तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रुप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र.ध्वज के रुप में मान्यता मिली। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरुप का पूर्वज है, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। यह भी स्पष्ट रुप से बताया गया था कि इसका कोई साम्प्रदायिक महत्त्व नहीं था।

22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रुप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततरु स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना।

रंग-रुप

भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच की पट्टी का श्वेत धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। सफेद पट्टी पर बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं जो तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ की लाट से लिया गया है। इस चक्र में 24 आरे या तीलियों का अर्थ है कि दिन-रात्रि के 24 घंटे जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है।

भारतीय ध्वज में निम्न अनुमानित रंगों के अंतरण प्रयोग होते हैं। ध्वज में जो केसरिया, श्वेत, हरा तथा नीला रंग है वह एच.टी.एम.एल. आर.जी.बी. व वेब रंगों में (हेक्साडेसिमल संकेतन में), सी.एम.वाइ.के. के समकक्ष, डाई रंग और पेन्टोन के बराबर संख्या हल है।

योजना	HTML	सीएमवाइके	वस्त्र रंग पैन्टोन		
केसरिया	FF9933	0.50.90.0	गहरा केसर	1495सी
श्वेत	FFFFFF	0.0.0.0	फीका सफेद	1सी
हरा	138808	100.0.70.30	भारतीय हरा	362सी
नीला	000080	100.98.26.48	गहरा नीला	2755सी

विनिर्माण प्रक्रिया

1950 में भारत के गणतंत्र बनने के उपरांत, भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने 1951 में पहली बार ध्वज की कुछ विशिष्टताएँ बताईं। ये 1964 में संशोधित की गयीं, जो भारत में मीट्रिक प्रणाली के अनुरुप थीं। इन निर्देशों को आगे चलकर 17 अगस्त 1968 में संशोधित किया गया। ये दिशा निर्देश अत्यंत कड़े हैं और झंडे के विनिर्माण में कोई दोष एक गंभीर अपराध समझा जाता है, जिसके लिए जुर्माना या जेल या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं।

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बी.आई.एस.) द्वारा राष्ट्रध्वज को तैयार करने के तीन दस्तावेज जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी झंडे खादी के सिल्क या कॉटन के होंगे। झंडे बनाने का मानक 1968 में तय किया गया जिसे 2008 में पुन: संशोधित किया गया। तिरंगे के लिए नौ स्टैंडर्ड (मानक) साइज तय किए गए हैं। सबसे बड़ा झंडा 21 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा होता है। सबसे पहले बैंगलुरु से लगभग 550 कि.मी. दूर स्थित बगालकोट जिले के खादी ग्रामोद्योग सयुक्त संघ में कपड़े को बहुत ध्यान से काता और बुना जाता है। इसके बाद कपड़े को तीन अलग-अलग लॉट बनाए जाते हैं। इनको तिरंगे के तीन अलग-अलग रंगो में डाई किया जाता है। डाई किए हुए कपड़े बैंगलुरु से 420 कि.मी. स्थित हुबली इकाई में भेज दिए जाते हैं। यहाँ

स्वतंत्रता दिवस की 75वी वर्षगांठ
एवम्
बुलंद गोंदिया के तृतीय वर्ष में प्रवेश पर

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

हार्दिक
शुभकामनाएँ

घनश्याम
पानतवने
पूर्व पक्ष नेता
नगर परिषद, गोंदिया

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता दिवस की 75वी वर्षगांठ
एवम्
बुलंद गोंदिया की द्वितीय वर्षगाँठ पर

शुभकामनाएँ

डॉ.निलेश बाजपाई
चेयरमेन, बालाजी फाऊंडेशन, गोंदिया

स्वतंत्रता दिवस की 75वी वर्षगांठ
एवम्
बुलंद गोंदिया के तृतीय वर्ष में प्रवेश
पर

शुभकामनाएँ

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

राकेश ठाकुर
पूर्व सभापति
नगर परिषद गोंदिया

शीलु चौहान
पूर्व पार्षद
नगर परिषद, गोंदिया

स्वतंत्रता दिवस की 75वी वर्षगांठ
एवम्
बुलंद गोंदिया की द्वितीय वर्षगाँठ पर

शुभकामनाएँ

रविन्द्र मिश्रा
विदर्भ प्रभारी
बजरंग सेना

इन्हें अगल-अलग साइज के अनुसार काटा जाता है। कटे हुए कपड़े को हुबली में ही सिला जाता। यहाँ लगभग 40 महिलाएं प्रतिदिन 100 के करीब झंडे सिलती हैं। कटे हुए सफेद कपड़े पर चक्र प्रिंट किया जाता है। इसके बाद तिरंगे की तीनों रंग के कपड़े की सिलाई की जाती है। सिलाई के बाद कपड़े को प्रेस किया जाता है।

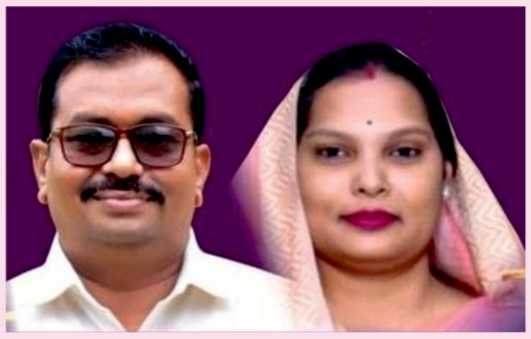

केवल खादी या हाथ से काता गया कपड़ा ही झंडे के लिए उपयुक्त माना जाता है। खादी के लिए कच्चा माल केवल कपास, रेशम और ऊन हैं। झंडा बनाने में दो तरह के खादी का उपयोग किया जाता है, एक वह खादी, जिससे कपडा बनता है और दूसरा है खादी-टाट, जो बेज रंग का होता है और खम्भे में पहनाया जाता है। खादी टाट एक असामान्य प्रकार की बुनाई है जिसमें तीन धागों के जाल जैसे बनते हैं। यह परम्परागत बुनाई से भिन्न है, जहाँ दो धागों को बुना जाता है। इस प्रकार की बुनाई अत्यंत दुर्लभ है, इस कौशल को बनाए रखने वाले बुनकर भारत में एक दर्जन से भी कम हैं। दिशा-निर्देश में यह भी बताया गया है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 150 सूत्र होने चाहिए, इसके साथ ही कपड़े में प्रति चार सूत्र और एक वर्ग फुट का शुद्ध भार 205 ग्राम ही होना चाहिये। इस बुनी खादी को दो इकाइयों से प्राप्त किया जाता है, धारवाड़ के निकट गदग से और उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिलों से। वर्तमान में, हुबली में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ को ही एक मात्र लाइसेंस प्राप्त है जो झंडा उत्पादन और आपूर्ति करता है। यद्यपि भारत में झंडा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की अनुमति खादी विकास और ग्रामीण उद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा दिया जाता है परन्तु यदि दिशा-निर्देशों की अवज्ञा की गयी तो बी.आई.एस. को इन्हें रद्द करने के सारे अधिकार प्राप्त हैं।

बुनाई पूरी होने के बाद, सामग्री को परीक्षण के लिए बी.आई.एस. प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। कड़े गुणवत्ता परीक्षण करने के बाद, यदि झंडा अनुमोदित हो जाता है तो, उसे कारखाने वापस भेज दिया जाता है। तब उसे प्रक्षालित कर संबंधित रंगों में रंग दिया जाता है। केंद्र में अशोक चक्र को स्क्रीन मुद्रित, स्टेंसिल्ड या काढ़ा जाता है। विशेष ध्यान इस बात को दिया जाना चाहिए कि चक्र अच्छी तरह से मिलता हो और दोनों तरफ ठीक से दिखाई देता हो। बी.आई.एस. झंडे की जाँच करता है और तभी वह बेचा जा सकता है। भारत में सालाना लगभग चार करोड़ झंडे बिकते हैं। भारत में सबसे बड़ा झंडा (ह्चरु द्ब ह्लचल्ल मी.) राज्य प्रशासनिक मुख्यालय, महाराष्ट्र के मंत्रालय भवन से फहराया जाता है।

ध्वज संहिता

26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों आदि संस्थानों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर, बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते है, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कड़ाई से पालन करें और तिरंगे के सम्मान में कोई कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बांटा गया है। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है।

नियम व विनियम

26 जनवरी 2002 विधान पर आधारित कुछ नियम और विनियमन हैं कि ध्वज को किस प्रकार फहराया जाए :

राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों (विद्यालयों, महाविद्यालयों, खेल परिसरों, स्काउट शिविरों आदि) में ध्वज को सम्मान की प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालयों में ध्वज-आरोहण में निष्ठा की एक शपथ शामिल की गई है।

किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या एक शैक्षिक संस्थान के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अरोहण/प्रदर्शन सभी दिनों और अवसरों, आयोजनों पर

आज़ादी का अमृत महोत्सव
स्वतंत्रता दिवस की 75वी
एवम्
बुलंद गोंदिया की द्वितीय वर्षगाँठ पर
हार्दिक शुभकामनाएँ
aap AAM AADMI PARTY
भारत माता की जय
उमेश दमाहे
गोंदिया जिला अध्यक्ष
पुरुषोत्तम मोदी

आज़ादी का अमृत महोत्सव
स्वतंत्रता दिवस की 75वी
एवम्
बुलंद गोंदिया की द्वितीय वर्षगाँठ पर
हार्दिक शुभकामनाएँ
शिव नागपुरे
राष्ट्रीय अध्यक्ष
अवंतीबाई लोधी महासभा
एस.एन.मल्टीसर्विसेस्
बाजार चौक, फुलचुर, गोंदिया

आजादी का अमृत महोत्सव एवम्
बुलंद गोंदिया के तृतीय वर्ष में प्रवेश पर अनंत शुभकामनाएँ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जन आरोग्य योजना
डॉ.बाबासाहेब जन आरोग्य योजना च्या मार्फत आपण सर्वांना 25 टक्के तर बीपीएल धारक, माजी सैनिक, अपंगत्व व विधवांना हॉस्पिटल बीलामध्ये 50 टक्के सुट देण्यात येईल.
नोट :पहिल्यांदा आलेल्या 100 पेशेंट ला 25 टक्के व 50 टक्के सुट.
100 पेशेंटच्या नंतर आलेल्यांना 20 टक्के व 25 टक्के सुट.
मीरावंत हॉस्पीटल
9923941268
7057104584
8806843963
डॉ.राजेन्द्र वाय. वैद्य
M.B.B.S., MD. (Medicine)
सलाहकार चिकित्सक (हृदयरोग व मधुमेह रोग)
रिंग रोड, बस स्टॉप के पास, कुड़वा नाका, गोंदिया - ४४१६१४

अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरुप अवसरों पर किया जा सकता है।

नई संहिता की धारा (2) में सभी निजी नागरिकों अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है।

इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रुप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए।

इस ध्वज को आशय पूर्वक भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड, ऊपर और बगल या पीछे, रेलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता।

किसी अन्य ध्वज या ध्वज पट्ट को राष्ट्रीय ध्वज से ऊँचे स्थान पर लगाया नहीं जा सकता है। तिरंगे ध्वज को वंदनवार, ध्वज पट्ट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता।

अधिक जानकारी भारतीय ध्वज संहिता 2009.10.07 at the Wayback Machine में देखी जा सकती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। यह देश के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है।

झंडे का उचित प्रयोग

सन 2002 से पहले, भारत की आम जनता के लोग केवल गिने-चुने राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़ सार्वजनिक रुप से राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकते थे। एक उद्योगपति, नवीन जिंदल ने, दिल्ली उच्च न्यायालय में, इस प्रतिबंध को हटाने के लिए जनहित में एक याचिका दायर की। जिंदल ने जान बूझ कर, झंडा संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यालय की इमारत पर झंडा फहराया। ध्वज को जब्त कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाने की चेतावनी दी गई। जिंदल ने बहस की कि एक नागरिक के रुप में मर्यादा और सम्मान के साथ झंडा फहराना उनका अधिकार है और यह एक तरह से भारत के लिए अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तदोपरांत केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने, भारतीय झंडा संहिता में 26 जनवरी 2002, को संशोधन किए जिसमें आम जनता को वर्ष के सभी दिनों झंडा फहराने की अनुमति दी गयी और ध्वज की गरिमा, सम्मान की रक्षा करने को कहा गया।

भारतीय संघ में वी. यशवंत शर्मा के मामले में कहा गया कि यह ध्वज संहिता एक क़ानून नहीं है, संहिता के प्रतिबंधों का पालन करना होगा और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाए रखना होगा। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना एक पूर्ण अधिकार नहीं है, पर इसका पालन संविधान के अनुच्छेद 51-ए के अनुसार करना होगा।

झंडे का सम्मान

भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। भारत की झंडा संहिता 2005, ने प्रतीकों और नामों के (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 का अतिक्रमण किया और अब वह ध्वज प्रदर्शन और उपयोग का नियंत्रण करता है। सरकारी नियमों में कहा गया है कि झंडे का स्पर्श कभी भी जमीन या पानी के साथ नहीं होना चाहिए। उसका प्रयोग मेजपोश के रुप में, या मंच पर नहीं ढका जा सकता, इससे किसी मूर्ति को ढका नहीं जा सकता न ही किसी आधारशिला पर डाला जा सकता था। सन 2005 तक इसे पोशाक के रुप में या वर्दी के रुप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। पर 5 जुलाई 2005, को भारत सरकार ने संहिता में संशोधन किया और ध्वज को एक पोशाक के रुप में या वर्दी के रुप में प्रयोग किये जाने की अनुमति दी। हालाँकि इसका प्रयोग कमर के नीचे वाले कपडे के रुप में या जांघिये के रुप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज को तकिये के रुप में या रुमाल के रुप में करने पर निषेध है। झंडे को जानबूझकर उल्टा नहीं किया जा सकता, किसी में डुबाया नहीं जा सकता, या फूलों की पंखुडियों के अलावा अन्य वस्तु नहीं रखी जा सकती। किसी प्रकार का सरनामा झंडे पर अंकित नहीं किया जा सकता है।

सँभालने की विधि

झंडे का सही प्रदर्शन

झंडे को संभालने और प्रदर्शित करने के अनेक परंपरागत नियमों का

आज़ादी का अमृत महोत्सव
समस्त देशवासियों को 75वे स्वतंत्रता दिवस
एवम्
बुलंद गोंदिया समचारपत्र की द्वितीय वर्षगाँठ पर
हार्दिक शुभकामनाएँ

दिनेश तायडे
पोलिस निरिक्षक, गोंदिया ग्रामीण

आज़ादी का अमृत महोत्सव
स्वतंत्रता दिवस की 75वी
एवम्
बुलंद गोंदिया की द्वितीय वर्षगाँठ पर
हार्दिक शुभकामनाएँ
मैनुद्दीन निजामुद्दीन तिगाला
सामाजिक कार्यकर्ता
प्रभाग क्र.1, बालाघाट रोड, गोंदिया

आज़ादी का अमृत महोत्सव
स्वतंत्र्यदिनाच्या सर्व नागरीकांना हार्दिक शुभेच्छा...
ग्राम पंचायत काचेवानी
सरपंच श्री लवंगदास मंडारी
उपसरपंच सौ.प्रमिला रहांगडाले
सचिव श्री शैलेश परिहार
----------: सदस्य वार्ड नं. 1 :----------
सौ. वंदना ठोंबरे, श्री घनश्याम चौधरी
----------: सदस्य वार्ड नं. 2 :----------
सौ. सेवंता चौधरी, सौ. दिलवंता रहांगडाले, श्री संतोष चौधरी
----------: सदस्य वार्ड नं. 3 :----------
सौ.रामकला अंबुले, सौ.दिव्या भलावी, श्री संजय गुनेरिया
राष्ट्रीय ध्वज मिळण्याचे ठिकाण :
1. राशन दुकान, काचेवानी
2. ग्राम पंचायत कार्यालय, काचेवानी
3. ग्रामसंघ, काचेवानी

आज़ादी का अमृत महोत्सव
स्वतंत्रता दिवस की 75वी
एवम्
बुलंद गोंदिया की द्वितीय वर्षगाँठ पर
हार्दिक शुभकामनाएँ
आशु मक्कड ऋषभ मिश्रा
युवा सेना गोंदिया

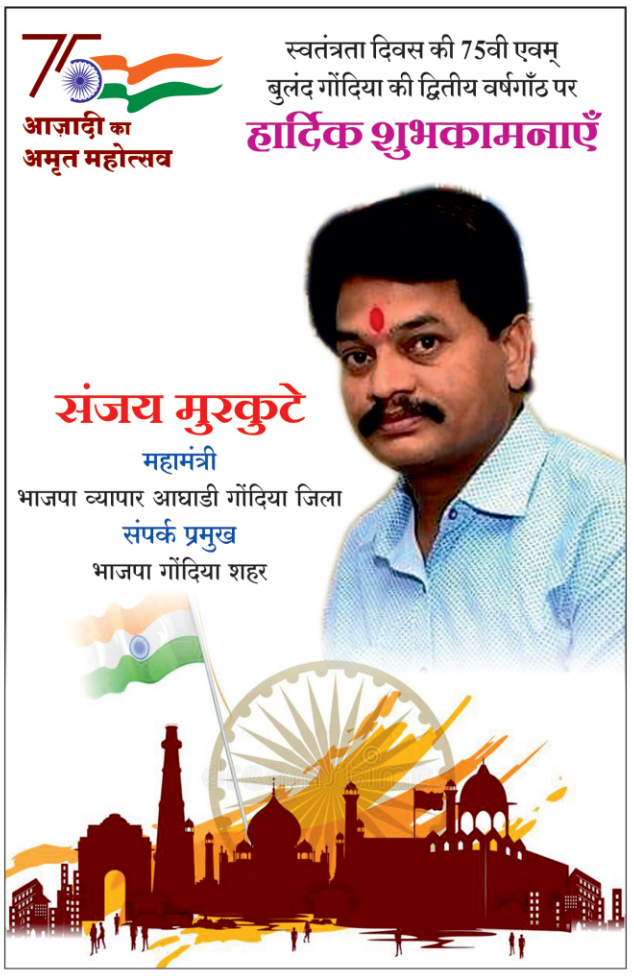

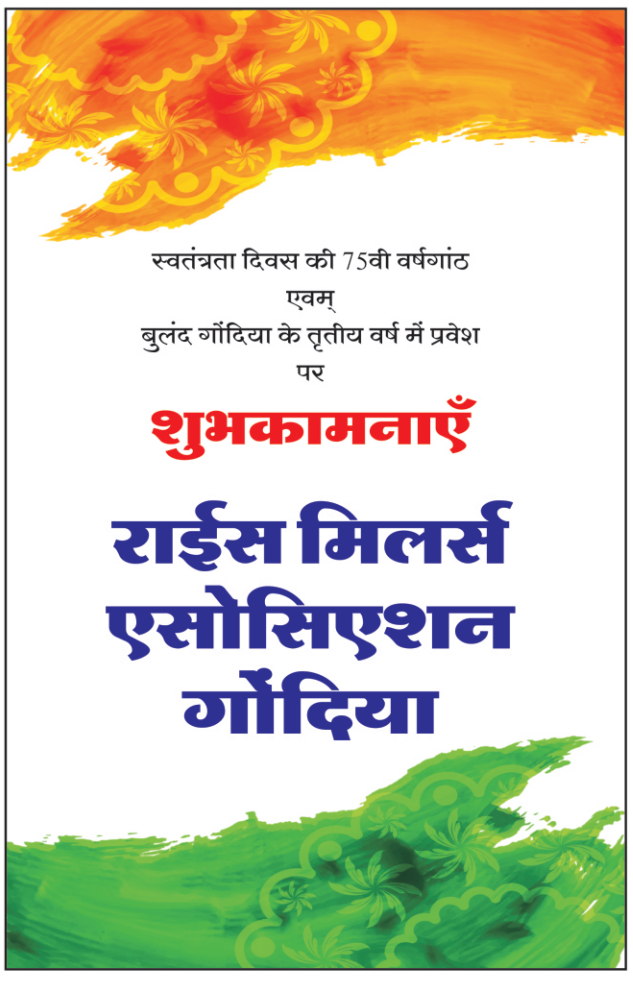

पालन करना चाहिए। यदि खुले में झंडा फहराया जा रहा है तो हमेशा सूर्योदय पर फहराया जाना चाहिए और सूर्यास्त पर उतार देना चाहिए चाहे मौसम की स्थिति कैसी भी हो। कुछ विशेष परिस्थितियों में ध्वज को रात के समय सरकारी इमारत पर फहराया जा सकता है।

झंडे का चित्रण, प्रदर्शन, उल्टा नहीं हो सकता ना ही इसे उल्टा फहराया जा सकता है। संहिता परंपरा में यह भी बताया गया है कि इसे लंब रुप में लटकाया भी नहीं जा सकता। झंडे को 90 अंश में घुमाया नहीं जा सकता या उल्टा नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति ध्वज को एक किताब के समान ऊपर से नीचे और बाएँ से दाएँ पढ़ सकता है, यदि इसे घुमाया जाए तो परिणाम भी एक ही होना चाहिए। झंडे को बुरी और गंदी स्थिति में प्रदर्शित करना भी अपमान है। यही नियम ध्वज फहराते समय ध्वज स्तंभों या रस्सियों के लिए है। इन का रखरखाव अच्छा होना चाहिए।

दीवार पर प्रदर्शन

झंडे को सही रुप में प्रदर्शित करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि ये किसी भी मंच के पीछे दीवार पर समानान्तर रुप से फैला दिए गए हैं तो उनका फहराव एक दूसरे के पास होने चाहिए और केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि ध्वज दीवार पर एक छोटे से ध्वज स्तम्भ पर प्रदर्शित है तो उसे एक कोण पर रख कर लटकाना चाहिए। यदि दो राष्ट्रीय झंडे प्रदर्शित किए जा रहे हैं तो उल्टी दिशा में रखना चाहिए, उनके फहराव करीब होना चाहिए और उन्हें पूरी तरह फैलाना चाहिए। झंडे का प्रयोग किसी भी मेज, मंच या भवनों, या किसी घेराव को ढकने के लिए नहीं करना चाहिए।

अन्य देशों के साथ

जब राष्ट्रीय ध्वज किसी कम्पनी में अन्य देशों के ध्वजों के साथ बाहर खुले में फहराया जा रहा हो तो उसके लिए भी अनेक नियमों का पालन करना होगा। उसे हमेशा सम्मान दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि झंडा सबसे दाईं ओर (प्रेक्षकों के लिए बाईं ओर) हो। लेटीन वर्णमाला के अनुसार अन्य देशों के झंडे व्यवस्थित होने चाहिए। सभी झंडे लगभग एक ही आकार के होने चाहिए, कोई भी ध्वज भारतीय ध्वज की तुलना में बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक देश का झंडा एक अलग स्तम्भ पर होना चाहिए, किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज एक के ऊपर एक, एक ही स्तम्भ पर फहराना नहीं चाहिए। ऐसे समय में भारतीय ध्वज को शुरु में, अंत में रखा जाए और वर्णक्रम में अन्य देशों के साथ भी रखा जाए। यदि झंडों को गोलाकार में फहराना हो तो राष्ट्रीय ध्वज को चक्र के शुरुआत में रख कर अन्य देशों के झंडे को दक्षिणावर्त तरीके से रखा जाना चाहिए, जब तक कि कोई ध्वज राष्ट्रीय ध्वज के बगल में न आ जाए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमेशा पहले फहराया जाना चाहिए और सबसे बाद में उतारा जाना चाहिए।

जब झंडे को गुणा चित्र के आकार में रखा जाता है तो भारतीय ध्वज को सामने रखना चाहिए और अन्य ध्वजों को दाईं ओर (प्रेक्षकों के लिए बाईं ओर) होना चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र का ध्वज भारतीय ध्वज के साथ फहराया जा रहा है, तो उसे दोनों तरफ प्रदर्शित किया जा सकता है। सामान्य तौर पर ध्वज को दिशा के अनुसार सबसे दाईं ओर फहराया जाता है।

गैर राष्ट्रीय झंडों के साथ

जब झंडा अन्य झंडों के साथ फहराया जा रहा हो, जैसे कॉर्पोरेट झंडे, विज्ञापन के बैनर हों तो नियमानुसार अन्य झंडे अलग स्तंभों पर हैं तो राष्ट्रीय झंडा बीच में होना चाहिए, या प्रेक्षकों के लिए सबसे बाईं ओर होना चाहिए या अन्य झंडों से एक चौडाई ऊँची होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का स्तम्भ अन्य स्तंभों से आगे होना चाहिए, यदि ये एक ही समूह में हैं तो सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि झंडे को अन्य झंडों के साथ जुलूस में ले जाया जा रहा हो तो झंडे को जुलूस में सबसे आगे होना चाहिए, यदि इसे कई झंडों के साथ ले जाया जा रहा है तो इसे जुलूस में सबसे आगे होना चाहिए।

घर के अंदर प्रदर्शित झंडा

जब झंडा किसी बंद कमरे में, सार्वजनिक बैठकों में या किसी भी प्रकार के सम्मेलनों में, प्रदर्शित किया जाता है तो दाईं ओर (प्रेक्षकों के बाईं ओर)

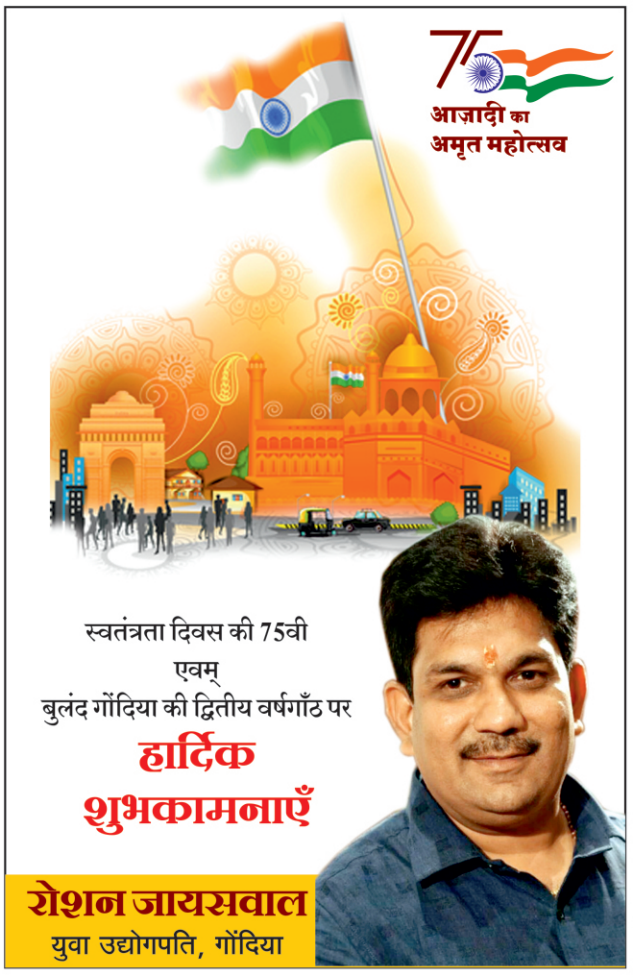

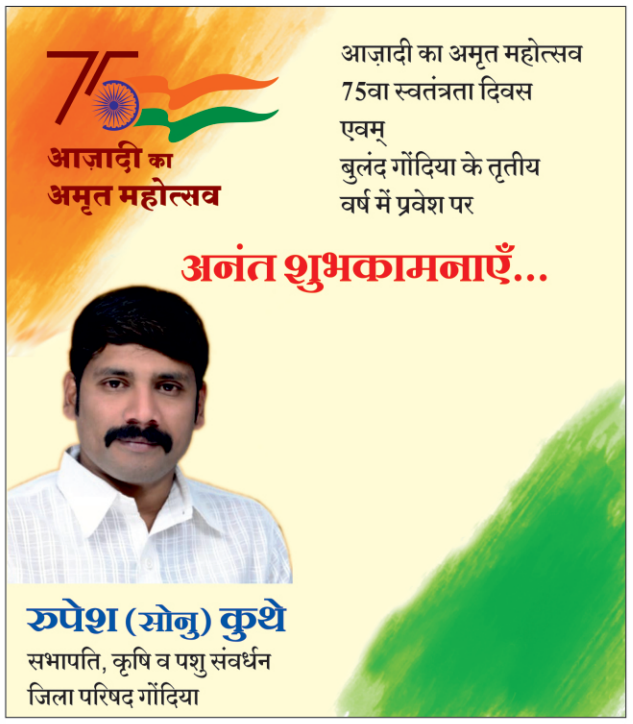

रखा जाना चाहिए क्योंकि यह स्थान अधिकारिक होता है। जब झंडा हॉल या अन्य बैठक में एक वक्ता के बगल में प्रदर्शित किया जा रहा हो तो यह वक्ता के दाहिने हाथ पर रखा जाना चाहिए। जब ये हॉल के अन्य जगह पर प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे दर्शकों के दाहिने ओर रखा जाना चाहिए।

केसरिया पट्टी को ऊपर रखते हुए इस ध्वज को पूरी तरह से फैला कर प्रदर्शित करना चाहिए। यदि ध्वज को मंच के पीछे की दीवार पर लंब में लटका दिया गया है तो, केसरिया पट्टी को ऊपर रखते हुए दर्शकों के सामने रखना चाहिए ताकि शीर्ष ऊपर की ओर हो।

परेड और समारोह

यदि झंडा किसी जुलूस या परेड में अन्य झंडे या झंडों के साथ ले जाया जा रहा है तो, झंडे को जुलूस के दाहीनें ओर या सबसे आगे बीच में रखना चाहिए। झंडा किसी मूर्ति या स्मारक, या पट्टिका के अनावरण के समय एक विशिष्टता को लिए रहता है, पर उसे किसी वस्तु को ढकने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। सम्मान के चित्र के रुप में इसे किसी व्यक्ति या वस्तु को ढंकना नहीं चाहिए। पलटन के रंगों, संगठनात्मक या संस्थागत झंडों को सम्मान के चिप्र रुप में ढका जा सकता है।

किसी समारोह में फहराते समय या झंडे को उतारते समय या झंडा किसी परेड से गुजर रहा है या किसी समीक्षा के दौरान, सभी उपस्थित व्यक्तियों को ध्वज का सामना करना चाहिए और ध्यान से खड़े होना चाहिए। वर्दी पहने लोगों को उपयुक्त सलामी प्रस्तुत करनी चाहिए। जब झंडा स्तम्भ से गुजर रहा हो तो, लोगों को ध्यान से खड़े होना चाहिए या सलामी देनी चाहिए। एक गणमान्य अतिथि को सिर के पोशाक को छोड़ कर सलामी लेनी चाहिए। झंडा-वंदन, राष्ट्रीय गान के साथ लिया जाना चाहिए।

वाहनों पर प्रदर्शन

वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए विशेषाधिकार होते हैं, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडल के सदस्य और भारतीय संसद के कनिष्ठ मंत्रीमंडल के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा के वक्ताओं और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों, राज्य सभा के अध्यक्षों और राज्य के विधान सभा परिषद के सदस्य, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और जल सेना, थल सेना और नौ सेना के अधिकारिकयों को जो ध्वज श्रेणीं में आते हैं, को ही अधिकार प्राप्त हैं। वे अपनी कारों पर जब भी वे जरुरी समझे झंडा प्रर्दशित कर सकते हैं। झंडे को एक निश्चित स्थान से प्रर्दशित करना चाहिए, जो कार के बोनेट के बीच में दृढ़ हो या कार के आगे दाईं तरफ रखा जाना चाहिए। जब सरकार द्वारा प्रदान किए गए कार में कोई विदेशी गणमान्य अतिथि यात्रा कर रहा है तो, हमारा झंडा कार के दाईं ओर प्रवाहित होना चाहिए और विदेश का झंडा बाईं ओर उड़ता होना चाहिए।

झंडे को विमान पर प्रदर्शित करना चाहिए यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हों। राष्ट्रीय ध्वज के साथ, अन्य देश का झंडा जहाँ वे जा रहे हैं या उस देश का झंडा जहाँ यात्रा के बीच में विराम के लिए ठहरा जाता है, उस देश के झंडे को भी शिष्टाचार और सद्भावना के संकेत के रुप में प्रवाहित किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, तो झंडे को पोतारोहण करना होगा जहाँ से वे चढ़ते या उतरते हैं। जब राष्ट्रपति विशेष रेलगाड़ी से देश के भीतर यात्रा कर रहें हों तो झंडा स्टेशन के प्लेटफार्म का सामना करते हुए चालाक के डिब्बे से लगा रहना चाहिए जहाँ से ट्रेन चलती हैं। झंडा केवल तभी प्रवाहित किया जाएगा जब विशेष ट्रेन स्थिर है, या जब उस स्टेशन पर आ रही हो जहाँ उसे रुकना हो।

झंडे को उतारना

शोक के समय, राष्ट्रपति के निर्देश पर, उनके द्वारा बताये गए समय तक झंडा आधा प्रवाहित होना चाहिए। जब झंडे को आधा झुका कर फहराना हो तो पहले झंडे को शीर्ष तक बढ़ा कर फिर आधे तक झुकाना चाहिए। सूर्यास्त से पहले या उचित समय पर, झंडा पहले शीर्ष तक बढ़ा कर फिर उसे उतारना चाहिए। केवल भारतीय ध्वज आधा झुका रहेगा जबकि अन्य झंडे सामान्य ऊँचाई पर रहेंगे।

समस्त भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पर झंडा आधा झुका रहेगा। लोक सभा के अध्यक्ष या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शोक के समय झंडा दिल्ली में झुकाया जाता है और केन्द्रीय मंत्रिमंडल मंत्री के समय दिल्ली में और राज्य की राजधानियों में भी झुकाया जाता है। राज्य मंत्री के निधन पर शोकस्वरुप मात्र दिल्ली में ही झुकाया जाता है। राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए राज्य और घटक राज्यों में झुकाया जाता है। यदि किसी भी गणमान्य अतिथि के मरने की सूचना दोपहर में प्राप्त होती है, यदि अंतिम संस्कार नहीं हुए हैं तो ऊपर बताये गए स्थानों में दूसरे दिन भी झंडा आधा फहराया जाएगा। अंतिम संस्कार के स्थान पर भी झंडा आधा फहराया जाएगा।

गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल), किसी भी राज्य के वर्षगाँठ या राष्ट्रीय आनन्द के दिन, किसी भी अन्य विशेष दिन, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये गए दिन पर मृतक के आवास को छोड़कर झंडे को आधा झुकाना नहीं चाहिए। यदि शव को शोक की अवधि की समाप्ति से पहले हटा दिया जाता है तो ध्वज को पूर्ण मस्तूल स्थिति में उठाया जाना चाहिए। किसी विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की मृत्यु पर गृह मंत्रालय से विशेष निर्देश से राज्य में शोक का पालन किया जाएगा। हालाँकि, किसी भी विदेश के प्रमुख, या सरकार के प्रमुख की मृत्यु पर, उस देश के प्रत्यायित भारतीय मिशन उपर्युक्त दिनों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। राज्य के अवसरों, सेना, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की अन्तेष्टि पर, झंडे के केसरिया पट्टी को शीर्ष पर रखकर टिकटी या ताबूत को ढक देना चाहिए। ध्वज को कब्र में नीचे नहीं उतारना चाहिए या चिता में जलाना नहीं चाहिए।

झंडे का समापन

जब झंडा क्षतिग्रस्त है या मैला हो गया है तो उसे अलग या निरादरपूर्ण ढंग से नहीं रखना चाहिए, झंडे की गरिमा के अनुरुप विसर्जित/नष्ट कर देना चाहिए या जला देना चाहिए। तिरंगे को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, उसका गंगा में विसर्जन करना या उचित सम्मान के साथ दफना देना।

साभार : विकिपिडिया

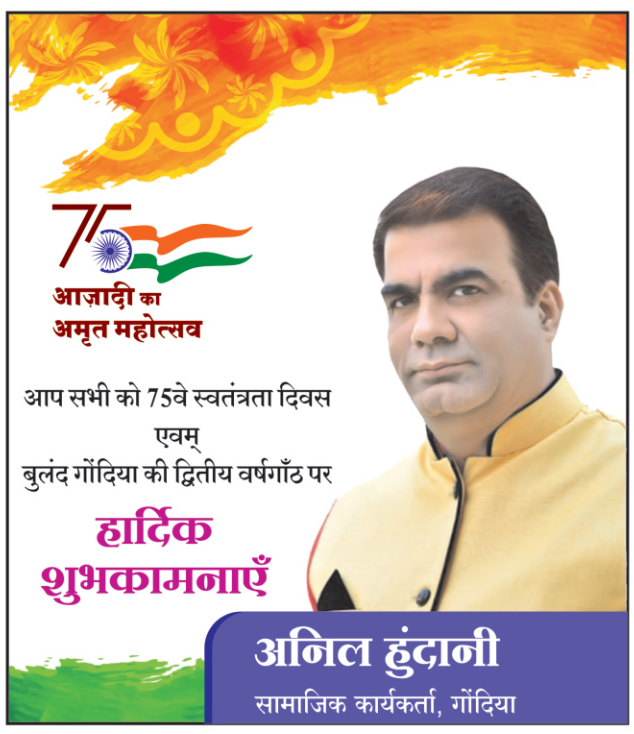

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता दिवस की 75वी वर्षगांठ
एवम्
बुलंद गोंदिया के तृतीय वर्ष में प्रवेश
पर

हार्दिक शुभकामनाएँ

अशोक (गप्पु) गुप्ता
प्रभारी
गोंदिया जिला काँग्रेस अध्यक्ष

आज़ादी का अमृत महोत्सव की
शुभकामनाएँ

बुलंद गोंदिया के द्वितीय वर्षगाँठ की
बधाईयाँ

निर्मला मिश्रा
पूर्व पार्षद
नगर परिषद, गोंदिया

सचिन (बंटी) मिश्रा
अध्यक्ष
मजुर सहकारी संस्था

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता दिवस की 75वी वर्षगांठ
एवम्
बुलंद गोंदिया के तृतीय वर्ष में प्रवेश
पर

शुभकामनाएँ

जितेन्द्र (बंटी) पंचबुद्धे
पूर्व पार्षद, नगर परिषद, गोंदिया

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता दिवस की 75वी वर्षगांठ
एवं
बुलंद गोंदिया के तृतीय वर्ष में प्रवेश
पर

बधाईयाँ

सचिन गोविंदभाऊ शेंडे
पूर्व सभापति, नगर परिषद गोंदिया

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता दिवस की 75वी वर्षगांठ एवं
बुलंद गोंदिया के तृतीय वर्ष में प्रवेश पर

बधाईयाँ

मनोज बाजपेई
जिला मार्केटिंग अधिकारी
गोंदिया

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वतंत्रता दिवस की 75वी एवम्
बुलंद गोंदिया की द्वितीय वर्षगांठ पर

हार्दिक शुभकामनाएँ

हमारे लाडले भाई
को जन्मदिवस पर
बधाईयाँ

लोकेश (कल्लु) यादव
पूर्व नगर सेवक
अध्यक्ष : जय श्री महाकाल सेवा समिति, गोंदिया

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया, ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया ४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित। संपादक : संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र. ९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया।